शहर में लाउडस्पीकर आउट ऑफ कंट्रोल, लोग परेशान

धार्मिक स्थलों पर बजाए जाने वाले लाउडस्पीकर पर रोक नहीं

■ एनबीटी संवाददाता, लखनऊ

2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण से जुड़े एक केस की सुनवाई करते हुए कहा था कि जीने के अधिकार में यह भी शामिल है कि आप किसी शोर को सुनना चाहते हैं या नहीं। कोई भी व्यक्ति शोर मचाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 19(1) ए में दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ नहीं ले सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के लिए कड़े आदेश जारी किए। लेकिन शहर में किसी भी इलाके में नियम का पालन नहीं हो रहा है। स्थिति यह है कि दिन हो या रात ध्वनि प्रदूषण मानक से बहुत ज्यादा हो रहा है। पुलिस और प्रशासन के पास प्रतिदिन औसतन 2 से 3 शिकायतें आ रही हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रही है।

हाई कोर्ट ने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर पर लगा रखी है रोक

पर्यावरण एक्टिविस्ट अशोक शंकरम ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो शादियों का शोर, राजनीतिक प्रचार, और धार्मिक सभाओं से आने वाली ऊंची आवाजों को आप सुनना चाहते हैं या नहीं ये फैसला करना आपका अधिकार है। यानी कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आपको शोर सुनने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मद्रास हाई कोर्ट का भी इस मामले में आदेश है कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। कई राज्यों में इसका पालन हो रहा है।

चेतावनी लगाकर भूल गए

पुलिस और प्रशासन ध्वनि प्रदूषण के बोर्ड लगाकर भूल गई। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल, एम्प्लीफाइड म्यूजिक बजाना, ड्रम बजाना और पटाखे छोड़ना कानूनन जुर्म है। रात 10 से सुबह 6 के बीच लाउडस्पीकर बजाना दंडनीय अपराध है।

लाउड म्यूजिक के शोर में नियमों को न मानने पर इनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 के तहत 5 साल की सजा और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है, लेकिन इस एक्ट में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती।

ये हैं मानक

पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ध्वनि प्रदूषण की विशेषज्ञ मंजू गुप्ता ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण को मापने का पैमाना डेसिबल होता है। एक सामान्य व्यक्ति 40 डेसिबल की आवाज सुन सकता है। सामान्य तौर पर आपस में जो बातचीत होती है वह 60 डेसिबल के आस पास होती है। लेकिन 80 डेसिबल से ज्यादा का शोर हानिकारक होता है। 100 डेसिबल की आवाज 15 मिनट लगातार सुनने से कान खराब हो सकते हैं। हालांकि अलग डेसिबल ज्यादा होने पर सिर्फ कान पर ही नहीं, बल्कि दिमाग और शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी असर पड़ता है।

ध्वनि प्रदूषण की स्थिति दिसंबर में

एसजीपीजीआई		लोहिया अस्पताल		आईटी चौराहा		विभूतिखंड	
मानक	स्थिति	मानक	स्थिति	मानक	स्थिति	मानक	स्थिति
दिन- 50	61.2	दिन- 50	68.4	दिन- 50	64.5	दिन- 65	65.2
रात- 40	55.8	रात- 40	58.7	रात- 40	59.4	रात- 55	60.4

अमौसी		इंदिरानगर		चिनहट		तालकटोरा	
मानक	स्थिति	मानक	स्थिति	मानक	स्थिति	मानक	स्थिति
दिन- 65	62.3	दिन- 55	58.6	दिन- 65	65.5	दिन- 75	67.7
रात- 56	55.9	रात- 45	52.8	रात- 70	58.7	रात- 70	69.6

तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक है। किसी भी धर्म में कहीं भी लाउडस्पीकर के प्रयोग की मान्यता की बात नहीं कही गई है। इसे धर्म के साथ जोड़ना गलत है। हम अगर धार्मिक स्थलों पर चलने वाले लाउडस्पीकर्स पर रोक लगाएंगे तो लोग उसे साम्प्रदायिकता का रंग देंगे। लोगों को खुद सिविलाइज्ड होना पड़ेगा।

-कुलदीप मिश्रा, जिला प्रदूषण कंट्रोल अधिकारी